डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–431/2018

1. मंगल चन्द पुत्र रामकरण जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 08, टिब्बी तहसील टिब्बी।
–वादी

बनाम्

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।
–प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं. 14 एसएलडब्ल्यू के खाता संख्या 64/49 जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 में अंकित वादी का नाम मंगलाराम को दुरूस्त कर मंगलाराम के स्थान पर मंगल चन्द अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...11-1-19....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....11-1-19.....को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

Scanned by CamScanner